

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षण उपाय और कार्रवाई)

16. उपरोक्त वन भूमि की अवस्थिति		उत्तर दिक्कत गडवाल के प्रस्तावित विस्तारित वन भूमि का विवरण वर्तमान संरक्षित वन भूमि 0.711 हे० वन भूमि का अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीगन्तर नु० कीर्तिनगर को हस्तान्तरण			
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र		उत्तराखण्ड			
(ii) जिला		टिहरी गढ़वाल			
(iii) जिला वन प्रभाग		नरेन्द्रनगर वन प्रभाग			
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र		आरक्षित वन भूमि (हे०)	सिविल सोयम (हे०)	वन पंचायत भूमि (हे०)	कुल भूमि (हे०)
		0.000	0.711	0.000	0.711
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:		कोई नहीं			
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:		संलग्न है			
(i) वन का प्रकार		मिश्रित वन			
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व		0.10 open Forest			
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना		प्रस्ताव में संलग्न है			
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा		-			
19. भूस्तरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी		भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार			
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :		लगभग-1200 मीटर			
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :		कोई नहीं			
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :		कोई नहीं			
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अलगाव गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)		नहीं			

क्या क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारा पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्न आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है

नहीं

::

कोई नहीं

नहीं

कोई नहीं

::

न्यूनतम एवं अपरिहार्य है

-

नहीं

नहीं

::

नहीं

(i) / नहीं	
1. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
2. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	संलग्न है
(3) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न है
(iv) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित होने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत नक्शा का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	संलग्न है लागू नहीं
(v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां लागू नहीं
(vi) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उत्तरव्यय :	लागू नहीं
(vii) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की बुलिंद्युक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।	हां लागू नहीं
28. वनस्थिति और जीव जंतु पर प्रस्तावित विधायकताओं के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लघु प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हां
29. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

स्थान :- मुनिकीरेती।

तारीख :- 23-09-2016


हस्ताक्षर वनाधिकारी
परिचालन वन इकाई
शासकीय मुख्यालय